झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

दिनांक–09.07.2020 को निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव के साथ सम्पन्न ऑनलाइन बैठक की कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम निदेशक महोदय के द्वारा सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव का औपचारिक अभिवादन किया गया। तत्पश्चात् सभी को यह अवगत कराया गया कि सभी विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से अपेक्षित निर्णयों पर विस्तृत चर्चा हेतु यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिए गएः–

1. राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा बी0एड0 महाविद्यालयों को 03 वर्षों हेतु अस्थायी संबंधन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में सभी विश्वविद्यालयों को यह निदेशित किया गया कि जिन बी0एड0 महाविद्यालयों का अस्थायी संबंधन का अनुमोदन 03 वर्षों हेतु विश्वविद्यालय स्तर से दिया जा चुका है, उनकी सूची तैयार की जाए। इस क्रम में वैसे सभी बी0एड0 महाविद्यालयों जिन्हें 02 एवं 01 वर्ष हेतु अस्थायी संबंधन हेतु अनुमोदित किया गया है, के लिए 03 वर्षों के अस्थायी संबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय अनुमोदन प्रदान करे एवं निदेशालय को इसकी सूचना उपलब्ध करायी जाए।

   सभी बी0एड0 महाविद्यालयों को विहित प्रक्रिया के अनुसार 03 वर्षों हेतु अस्थायी संबंधता का अनुमोदन प्रदान करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रतिवेदन में बी0एड0 महाविद्यालयों के भूमि संबंधी सम्पूर्ण विवरणी यथा–रकबा, प्रकार, खाता/खेसरा/ प्लॉट नं0, स्वामित्व आदि उपलब्ध कराया जाए एवं इसके साथ कक्षाओं, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या, AISHE, NAAC आदि की विवरणी भी संलग्न हो। **(संदर्भ–Statute on Affiliation, 2018).**

   (अनु०:–डॉ० शम्भु दयाल सिंह, उप निदेशक)

2. दिनांक–24.07.2020 को कुलाधिपति–सह–राज्यपाल महोदया के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के साथ प्रस्तावित समीक्षा बैठक हेतु उपलब्ध कराए गए एजेन्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कर ससमय राजभवन को उपलब्ध कराएँ। **(अनु०:–डॉ० नितेश राज, उप निदेशक)**

3. शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के कार्यभार के आधार पर नये पदों का सृजन प्रस्तावित है। इसके लिए नये पदों के सृजन से संभावित वित्तीय भार का भी आकलन कर समेकित प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को समर्पित किया जाए। **(अनु०:–संबंधित उप निदेशक)**

4. राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के आलोक में वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब तैयार कर प्रेषित किया जाए। **(अनु०:–डॉ० नितेश राज, उप निदेशक)**

5. द्वितीय पाली में अध्यापन कार्य हेतु जिन विश्वविद्यालयों को राशि आवंटित की गई थी, वह प्राप्त आवंटन के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ नये आवंटन हेतु माँग पत्र समर्पित करें।

   (अनु०:–श्री अजय सिंह, अवर सचिव, बजट शाखा)

6. सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत प्रत्येक कर्मीवार प्रस्ताव तैयार हो। यदि विश्वविद्यालय स्तर से पूर्व में प्रस्ताव समर्पित है तो उपरोक्त निदेशानुसार आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव निदेशालय में समर्पित करें। **(अनु०:–श्री अजय सिंह, अवर सचिव, बजट शाखा एवं संबंधित उप निदेशक)**

7. सभी विश्वविद्यालय अपने सिंडिकेट आदि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2010 के संविधि (Statute) को विधिवत पारित कराकर निदेशालय को समर्पित करें। **(अनु०:–डॉ० नितेश राज, उप निदेशक)**

8. विभागीय प्रधान सचिव के स्तर से राज्य के सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के भूमि संबंधी विवरणी (अभिलेख सहित) ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। इस क्रम में सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का GIS आधारित मैपिंग भी किया जाना है। निदेशालय स्तर से पत्र के माध्यम से

Scanned with CamScanner

निर्धारित प्रारुप मे सभी सस्थानों से आँकड़े उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है। अतः सभी को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र उक्त प्रतिवेदन को उपलब्ध कराया जाए।

(अनु०:–डॉ० शम्भु दयाल सिंह, उप निदेशक)

चांसलर पोर्टल के माध्यम से विभागीय स्तर से सभी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन, प्रवेश तथा निबंधन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इस पोर्टल के उपयोग से वैसे विद्यार्थी जो सुदूरवर्ती इलाकों से आते हैं उन्हें विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे धन एवं समय दोनों की बचत होगी। अतः राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति तथा कुलसचिव अपने स्तर से इसके समग्र उपयोग हेतु प्रयास करें। इस संबंध में चांसलर पोर्टल के समन्वयक, एन०आई०सी० के पदाधिकारी से सम्पर्क कर डेमो देखा जा सकता है। इस कार्य में डॉ0 शम्भु दयाल सिंह, उप निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, विश्वविद्यालयों एवं एन०आई०सी० के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायता करेंगे।

चांसलर पोर्टल के उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय के स्तर से अगर किसी कर्मी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है तो निदेशालय को लिखित अनुरोध प्रेषित किया जा सकता है। निदेशालय के स्तर से जिन कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होंगे उन्हें अविलम्ब प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

(अनु०:–डॉ० शम्भु दयाल सिंह, उप निदेशक)

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त हुई।

13.07.20

(सुशांत गौरव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक– 729 दिनांक– 14/07/2020

प्रतिलिपि:–कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.07.20

निदेशक, उच्च शिक्षा।

Scanned with CamScanner